संक्षिप्त

डॉ आशा बल्डवाल को एमबीबीएस डिग्री अवार्ड

श्रीमाधोपुर । कस्बे की एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन श्रीमाधोपुर के निदेशक डॉ मुकेश बल्डवाल की बहिन डॉ आशा बल्डवाल पुत्री चन्द्रभान बल्डवाल निवासी जैतपुर रींगस को गुजरात मेडिकल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में एमबीबीएस डिग्री प्रदान की गई। डॉ आशा बल्डवाल ने डॉ एम.के शाह मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद से अपनी एमबीबीएस मेडिकल डिग्री पूर्ण होने पर एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन श्रीमाधोपुर के समस्त कार्मिकों ने डॉ आशा बल्डवाल के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी।

अवैध शराब के साथ एक जने को किया गिरफ्तार

मालपुरा। डिग्गी थाना पुलिस ने सोमवार को मुखबीर की सूचना पर अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए सांसी बस्ती डिग्गी में दबिश दे हथकड शराब के साथ एक जने को किया गिरफ्तार। थानाधिकारी सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि उच्चाधिकारीयों के निर्देशों पर सोमवार को सांसी बस्ती में दबिश की कार्यवाही कर हथकड शराब निर्माण की भट्टीयों व वास को नष्ट किया गया। साथ ही कार्यवाही के दौरान डिग्गी कस्बे से शोएब अख्तर को गिरफ्तार कर दो लीटर अवैध हथकड शराब जब्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

शाहपुरा । श्री महात्मा ज्योतिबा फुले सेवा समिति के तत्वाधान में सैनी धर्मशाला त्रिवेणी में सोमवार को कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नाथूलाल सैनी एवं समिति उपाध्यक्ष रामजीलाल सैनी की अध्यक्षता में सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि मनाई गई। ब्लॉक अध्यक्ष नाथूलाल सैनी ने कहा कि सावित्रीबाई ने देश का पहला बालिका विद्यालय खोलकर महिलाओं को शिक्षित किया था। उनका योगदान कभी बुलाया नहीं जा सकता है।

खोया-पाया

हरिचरण लाल पुत्र रमल्या राम, गोपाल लाल (दत्तक) पुत्र केदार लाल निवासी नई मण्डी हिण्डौन सिटी के मकानों की रजिस्ट्री की फोटो कोपी व एस.बी. आई. बैंक का एक खाली चैक. कहीं गुम हो गया है। जिस किसी को मिले उक्त पते पर सम्पर्क कर लौटाने की कृपा करें।

खोया पाया

में वेद प्रकाश शर्मा S/o कृपा शंकर शर्मा R/o 910 शोखियों का रास्ता नाइयों की गली किशनपोल बाजार का हु की मेरी प्रॉपर्टी प्लॉट न 1 व2 कला नगर हीरापुरा पावर हाउस अजमेर रोड के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स / एलॉटमेंट लेटर / साइट प्लान/ ओरिजनल रशीद कही गुम हो गए है मिलने पर सूचित करे 9461929951

नाम परिवर्तन

I have changed my name after marriage from Deep Singh Sohi or Deep Singh to Deep Dutt W/o Tarun Deep Dutt R/o 20/9, Kaveri Path, Mansarovar, Jaipur for all purposes

I am army no. 21001276N rank L/nk name b Lakshmi reddy unit 199med regt my wife name in military document Bali reddy gari anitha my wife civill document is correct name venkatesammagari anitha is correct.

I am army no 21001276N rank L/nk name b Lakshmi reddy unit 199med regt my daughter name is military document Bali reddy gari vashika reddy my daughter name is civill document name is Balireddy gari vashika reddy name is correct

I army no 14245245H Ex NK Dhan Singh S/O swai singh village basdi khurd post dudwa teh. Dataramgarh dist.sikar that have changed my wife name From MAF KUWAR is wrong entered in my service record To MAFU KANWAR vide affidavit dated 7 march 2025 before district notary Jaipur

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किए बाबा श्याम के दर्शन

खाटूश्यामजी। बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेले के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सपत्नीक खाटूश्यामजी पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन कर पुजा अर्चना की तथा प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम ने सादगी के साथ बाबा श्याम के दर्शन किए।इस अवसर पर श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान, मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान,पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान, शक्तिसिंह चौहान ने श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर व प्रतिक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया।

दर्शन के बाद श्याम भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया और मेले में उमड़े भक्तों के सैलाब का नजारा भी देखा। इससे पूर्व सीएम निकटवर्ती गांव जालूण्ड में बनाए अस्थाई हेलीपैड पर उतरे।जहां भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच,पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, भाजपा नेता पवन पुजारी, विधायक सुभाष मील, जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़,कमल सिखवाल, रतन जलधारी,श्रवण चौधरी, स्वदेश शर्मा सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया।सीएम के खाटूश्यामजी यात्रा के दौरान संभागीय आयुक्त पूनम, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा,आईजी अजयपाल लाम्बा, एसपी भुवन भूषण यादव, उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर, तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने अगवानी की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खाटूश्यामजी पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन कर पुजा अर्चना की ।

जिला मजिस्ट्रेट एवं एसपी ने ली समीक्षा बैठक

टोंक। जिले में त्योहारों को सौहार्द, भाईचारे से मनाने एवं शांति व कानून व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने भारत निर्माण सेवा केंद्र में समीक्षा बैठक ली। इस दौरान वीडियों कॉन्फ्रेसिंग से जिले के सभी एएसपी, एडीएम, एसडीओ, तहसीलदार एवं थानाधिकारी जुड़े।

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आगामी दो माह लगातार त्योहार है, इसलिए प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी आमजन से समन्वय स्थापित कर सामाजिक सौहार्द एवं सदभाव बनाए रखे। कोई असमाजिक एवं शरारती तत्व जिले सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने की कोशिश करे, तो उससे सख्ती से निपटा जाएं। सभी समुदाय के मौजिज व्यक्तियों से फीडबैक एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस जाप्ता पूरी तरह मुस्तैद रहे। साथ ही, पार्किंग एवं ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित रखा जाएं। उन्होंने कहा कि सभी सीएचसी एवं पीएचसी पर मेडिकल स्टाफ की तैनाती रहे। सम्राट की सवारी वाले रूट चार्ट पर साफ-सफाई, झूलते विद्युत तारों को ठीक करने, आवारा पशुओं को हटाने का विशेष ध्यान रखा जाएं। उन्होंने डीजे के उपयोग को लेकर राज्य सरकार के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

कोटपूतली। निकटवर्ती ग्राम रामसिंहपुरा के ग्रामीणों ने सोमवार को लामबंद होकर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि उक्त रास्ते पर किसी तरह का कोई रास्ता नहीं होने के बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कुछ खातेदारों को अवैध लाभ पहुंचाने के लिए खातेदारी भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज करने के लिए मिलीभगत कर खातेदारी भूमि में रास्ता अंकन किया गया है।

यह भूमि खातेदारी की भूमि है जिसमें किसी तरह का कोई रास्ता नहीं है वर्तमान में खातेदारों की भूमि में फसल खड़ी है।

मणिपाल हॉस्पिटल

सेक्टर 5, मेन सीकर रोड, विद्याधर नगर, जयपुर, 302039
फ़ोन : 0141-5164000, एक्सटेंशन : 2065

सार्वजनिक सूचना

मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर सूचित करता है कि हॉस्पिटल द्वारा मार्च 2019 से मार्च 2020 तक के समस्त अंतरंग रोगी मेडिकल रिकॉर्ड (बी एच टी) को, एम एल सी और मृतक रोगी के रिकॉर्ड को छोड़ कर, हॉस्पिटल की निति और अन्य नियामक मानदण्डों के अनुसार नष्ट कर दिया जाएगा। यदि आप हॉस्पिटल में इस समयावधि के दौरान स्वास्थ लाभ के लिए भर्ती हुए हों तथा आपको भविष्य में अंतरंग रोगी मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अनुरोध है की इसके वर्णित नंबर 0141 5164000 EXT - 2065, 8003301362, 9785377787 पर मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से या नोटिस के प्रेषण की तारीख से 30 दिनों के भीतर मेल आई डी mrd.mhj@manipalhospitals.com पर मेल करें।

By Order
Medical Superintendent
Manipal Hospital Jaipur

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक-6860 दिनांक :- 07/03/25

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना मे आवास संख्या 68/330 (HIG), (एरिया 185.537 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री प्रेम प्रकाश यादव पुत्र श्री नवल किशोर यादव को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 976 दिनांक 18.02.1992 को जारी किया गया। श्री प्रेम प्रकाश यादव के पक्ष मे उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 05.08.2002 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहा पंजीकृत करवाये गये। श्री प्रेम प्रकाश यादव द्वारा उक्त आवास को दिनांक 18.12.2013 के द्वारा श्रीमती तनवी यादव पत्नी श्री नकुल गिरमे पुत्री श्री प्रेम प्रकाश यादव को बख्शीनामा कर उप पंजीयक-अष्टम, जयपुर के यहां बख्शीनामा पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती तनवी यादव के आवेदन पर कार्यालय आदेश क्रमांक 6171 दिनांक 22.01.2025 द्वारा नाम दर्ज किया गया। श्रीमती तनवी यादव द्वारा उक्त आवास को दिनांक 17.02.2025 के द्वारा 1. श्रीमती भावना शर्मा पत्नी श्री शैलेन्द्र कुमार पारीक एवं 2. श्री शैलेन्द्र कुमार पारीक पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार पारीक को विक्रय कर सब रजिस्ट्रार जयपुर-पंचम के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता 1. श्रीमती भावना शर्मा पत्नी श्री शैलेन्द्र कुमार पारीक एवं 2. श्री शैलेन्द्र कुमार पारीक पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार पारीक द्वारा आवासन मण्डल मे उक्त आवास मे अपना नाम मण्डल रिकार्ड मे दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है 1. श्रीमती भावना शर्मा पत्नी श्री शैलेन्द्र कुमार पारीक एवं 2. श्री शैलेन्द्र कुमार पारीक पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार पारीक का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

विवाधक के स्थरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय उपजिला कलेक्टर साहब, स्थान-हिण्डौनसिटी
गुलाम वगै0
विरुद्ध
रामस्वरूप वगै0
दावा बावत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं करेक्शन ऑफ एन्ट्रीज
वाद संख्या-275/2024
प्रार्थना पत्र संख्या-230/2024

बनाम 1. दीपक कुमार पुत्र प्रकाशचन्द 2. ज्ञानप्रकाश पुत्र सुरेशचन्द 3. पुष्पादेवी पत्नी नत्थीलाल, जाति महाजन, 4. महेशचन्द पुत्र भौरीलाल 5. स्वरूप 6. नारायण पिसरान बालकृष्ण 7. बनवारीलाल पुत्र पप्पेराम, जाति ब्राह्मण 8. राधारानी पत्नी लाला (लाला बाबू), जाति स्वर्णकार 9. बाबू 10. मनु उर्फ मनुआराम 10. आराम पिसरान ओंकारलाल उर्फ ऊंकारलाल, जाति स्वर्णकार 11. केदारलाल पुत्र सांवलियाराम, जाति स्वर्णकार 12. अमृतकौर पत्नी भैरोसिंह 13. ज्ञाना उर्फ ज्ञानी 14. दलजीत सिंह पिसरान नन्दनसिंह, जाति सरदार, सभी निवासियान राजकीय पी0जी0 महाविद्यालय के पास, हिण्डौनसिटी करौली रोड, हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राज0) 15. वेदप्रकाश चतुर्वेदी पुत्र बजरंगलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी बरगमां, तहसील हिण्डौन हालतहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली (राज0)

वादी ने आपके विरुद्ध इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं करेक्शन ऑफ एन्ट्रीज के लिए वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 18 माह 03 सन् 2025 को दिन में 10 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता. 28 माह 2 सन् 2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 88/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि महम्मूद अली पुत्र श्री मोहित अली निवासी बदरू खाती, ड्रायडन स्कूल केपास, एन.बी.सी. रोड, हसनपुरा-ए, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत रंग सारथी कार्यालय पता-बदरू खाती, ड्रायडन स्कूल के पास, एन.बी.सी. रोड, हसनपुरा-ए, जयपुर प्रन्यास के सम्बन्ध मे अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध मे आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 4.3.25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइंदा तारीख पेशी 14.5.25

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 86/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री पुरूषोत्तम सिंह बघेल पुत्र श्री जगदीश सिंह बघेल निवासी 28, रघु विहार कॉलोनी, गोनेर रोड, जगतपुरा, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत गोपाल सेवा भाव ट्रस्ट कार्यालय पता-3/एम ए/91, इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध मे आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 4.3.25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइंदा तारीख पेशी 15.5.25

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 92/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री महेश मिश्रा पुत्र श्री दीन दयाल मिश्रा, ई-30, बैंक कॉलोनी, अम्बाबाड़ी, जयपुर 302023 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत आल राजस्थान एस.बी.बी.जे. एम्पलाईज एसोसिएशन ट्रस्ट कार्यालय पता-प्लॉट नं.7, देवी भवन परिसर, परिवहन मार्ग, सिविल लाईन फाटक के सामने, सी-स्कीम, जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध मे आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 4.3.25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइंदा तारीख पेशी 15.5.25

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 93/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री पुष्पेन्द्र बाबू शर्मा पुत्र श्री शिवदयाल निवासी 01-सी, 112, गुर्जरो की बस्ती, नाहरी की नाका, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत अपना परिवार ट्रस्ट कार्यालय पता-01-सी, 112, गुर्जरो की बस्ती, नाहरी की नाका, जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियो के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध मे आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 4.3.25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइंदा तारीख पेशी 15.5.25

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

नवीन कार्यकारिणी का गठन

चाकसू। सोमवार कोदी ग्रेट बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर मूलनिवासी वेलफेयर संघ राजस्थान, चाकसू की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें परिवेक्षक रामदेव बौद्ध, रामावतार बौद्ध एवं संरक्षक घनश्याम गौतम की उपस्थिति में पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण किया गया जिसमे अध्यक्ष कमलेश बैरवा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद तंवर महासचिव भूपेन्द्र गौतम, कोषाध्यक्ष सोनू बैरवा संगठन मंत्री सीताराम बौद्ध को सर्व समिति से चुना गया और चुनाव परिवेक्षकों द्वारा संघ के विधान अनुसार शपथ दिलाई गइ। नई कार्यकारिणी संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को और अधिक सशक्त रूप से आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होगी । इसी उम्मीद के साथ चुनाव कार्यक्रम में उपस्थित सभी संघ के स्थायी सदस्यों द्वारा सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं मंगलकामनाएँ दी गईं।

'बजट घोषणाओं के साथ विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करें'

- बैठक में आमजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए तय समय में पूरा करने के निर्देश

खैरथल। जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ बजट घोषणाओं सहित अन्य विकास कार्यों को तय समय में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बजट 2025-26 में की गई घोषणाओं को समयबद्ध धरातल पर उतारने के लिए संबंधित विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की विभागवार समीक्षा भी की। भूमि चिन्हिकरण व नियमानुसार आवंटन प्रक्रिया हेतु शीघ्र आवेदन भिजवाने को कहा।

उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे परिवादों का समय पर निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाने एवं एवरेज डिस्पोजल टाइम में सुधार करने के निर्देश दिए। हर में क्षितग्रस्त सडकों के मरम्मत कार्य को गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए हैं । जिला कलेक्टर ने बिजली विभाग को एमडीआर 318 खैरथल से शेखपुरा वाया बघेरी कलां, बीबीरानी, जोडिया एवं खैरथल बाईपास मार्गों के बीच में लग रहे बिजली पोल्स का मौका मुआयना कर जल्द शिफ्ट करने को कहा। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग आदेश कुमार, नगर परिषद खैरथल आयुक्त मुकेश शर्मा, कोऑपरेटिव वेद प्रकाश सैनी, डिप्टी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पूरणमल मीणा, सहायक अभियंता बिजली विभाग दिनेश भड़ाना, ईओ रसद विभाग पूनम चौधरी, सीडीपीओ बिना गुप्ता, समाज कल्याण, इरिगेशन, राजीविका, बिजली, कृषि, वन, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

कलेक्टर किशोर कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

तीन माह पहले गोली मारकर की गई हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

- विकलांग आरोपी शार्प शूटर निकाला

देवली। गत 20 दिसंबर 2024 को शहर के जयपुर रोड होटल सिद्धार्थ के समीप अज्ञात हमलावरों की ओर से एक युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में देवली पुलिस ने और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार हत्या की यह वारदात अफीम बेचने के नाम पर की हुई धोखाधड़ी का बदला लेने की योजना पर की गई थी । देवली उपखंड क्षेत्र के पोलयाडा गांव में विशेष जाति के कुछ ठग लोगों द्वारा नकली सोना एवं मादक पदार्थ अफीम जैसी तस्करी के सैकड़ो मामले उजागर है । ऐसे में पुलिस के अनुसार यहां की विशेष जाति के कुछ ठग लोगों के झांसे में उक्त आरोपी और उनके साथी आ गए थे। जिनके साथ ठग व्यक्तियों ने अफीम की खरीद परोसत को लेकर धोखाधड़ी कर डाली। इसी का बदला लेने की नीयत से 20 दिसंबर 2024 को यहां पर उक्त आरोपी द्वारा हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था।

आरोपी की तलाश में देवली थाना प्रभारी दौलत राम गुर्जर के नेतृत्व में टीम गठित की गई। प्रकरण के अनुसार गत 20 दिसंबर को पारिवादी संतोष कुमार पुत्र शक्ति सिंह उर्फ सिंगा निवासी पोल्याड़ा थाना दूनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई की। इस दौरान शाम करीब 6:30 बजे उनके पास इंस्टाग्राम पर कॉल आया। जिसमें बताया कि तीन जने देवली बस स्टैंड पर खड़े हैं। इससे पहले दोनों पक्षों की 10 से 12 दिन से व्हाट्सएप चैटिंग व इंस्टाग्राम पर बात हो रही थी। ऐसे में उक्त दौरान देवली शहर के बस स्टैंड पर खड़े उक्त तीनों लोगों को लेने के लिए संतोष कुमार, उसके जीजा कमल पुत्र रामनिवास कंजर निवासी घाड़ एवं वीरू पुत्र श्रीचंद कंजर निवासी पोल्याड़ा अपनी बलेनो का लेकर देवली बस स्टैंड पहुंचे थे। जहां फोन करने वाले तीनों लोगों को कार में बिठा लिया गया था। वहीं होटल सिद्धार्थ के पास पहुंचने पर कार में गोली चलना शुरू हो गई इस दौरान गोली संतोष कंजर के कंधे पर लगी। इस दौरान संतोष और उसके दोस्त वीरू ने शार्प शूटर की पिस्टल छीन ली और कार उतरकर भाग निकले। लेकिन तीनों बदमाश कमल नमक व्यक्ति को उस की कार सहित अपहरण कर ले गए थे। तभी कुछ किलोमीटर की दूरी पर जाने के बाद में मेहंदवास थाना क्षेत्र में आरोपियों ने कमल सासी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और आरोपी मौके से फरार हो गए थे । उस समय कार पुलिस ने जब्त कर ली थी।

जानलेवा हमले के मामले में फरार दो आरोपी गिरफ्तार

सांभरझील । पड़ासोली निवासी मोहनलाल पुत्र ग्यारसीलाल जाति नाई पर प्राणघातक हमला करने के मामले में फरार चल रहे 2 इनामी आरोपियों को दूदू पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

थाना अधिकारी दूदू ने बताया कि इस मामले में प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें पुलिस द्वारा पुर्व में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों विश्राम भाकर व मनीष भाकर को गिरफ्तार किया गया था तथा अन्य दो आरोपी फरार चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण द्वारा प्रत्येक अपराधी पर 2000 रूपये का ईनाम घोषित किया गया था।

महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर के द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु एरिया डॉमिनेशन एक विशेष अभियान चलाया गया है जिसमें जिले के सभी अधिकारियों को अधिकाधिक कार्यवाही बाबत निर्देशित किया गया था। अभियान की सफलता हेतु प्रकरण में दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु शिवलाल बैरवा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू के निर्देशन में दीपक खण्डेलवाल वृताधिकारी दूदू के सुपरविजन में तथा थानाधिकारी दूदू मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा आसूचना संकलन व तकनीकी सहायता द्वारा प्रकरण में वांछित 2000-2000 रूपये के ईनामी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। गिरफ्तार आरोपी राजुराम चौधरी पुत्र रामनारायण जाति जाट उम्र 34 साल निवासी केरिया बुजुर्ग थाना दूदू व कैलाश जाट पुत्र श्री हरजीराम जाट जाति जाट उम्र 31 साल निवासी माधोपुरा थाना दूदू जिला के रहने वाले हैं।

बैठक आयोजित

कोटपूतली। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक के अर्न्तगत जल जीवन मिशन की मासिक समीक्षा का आयोजन हुआ। बैठक को सम्बोधित करते हुये जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुये पीएचईडी एवं शिक्षा विभाग आपसी समन्वय के साथ विद्यालयों व आंगनबाडियों में पेयजल की गुणवत्ता की जांच कर बच्चों को निर्बाध शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यो को गति देकर एफएचटीसी के लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा